महिला एवं बाल विकास विभाग

कार्यालय कलेक्टर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
पांच बिल्डिंग परिसर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

Phone No.:-0788-2323704, E-Mail ID :- dpodurg@gmail.com

क्रमांक / 758 / मबावि / स्थापना / 2025–26 दुर्ग, दिनांक 04/06/2025

मिशन शक्ति के दिशा निर्देश अनुरूप ''सखी वन स्टॉप सेंटर'' में सेवा प्रदाताओं के रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु विज्ञापन

संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / 7246 / मबावि / 2024–25 / नवा रायपुर / दिनांक 01.10.2025 एवं पत्र क्रमांक / 1453 / मबावि / मसमि / 20255–26 / नवा रायपुर / दिनांक 06.05.2025 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–दुर्ग द्वारा द्वारा पत्र क्रमांक 4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा मिशन शक्ति के दिशा निर्देश अनुरूप **''सखी वन स्टॉप सेंटर''** में सेवा प्रदाताओं के रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु **योग्यताधारी आवेदकों से दिनांक 04.06.2025 से 13.06.2025 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–दुर्ग में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही आमंत्रित किये जाते है।** विज्ञापन का प्रारूप जिले की वेबसाईट www.durg.gov.in एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–दुर्ग के सूचना पटल पर किया जा सकता है।

<u>रिक्त पदों का विवरण</u>

क	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	मासिक सेवा शुल्क
1	पैरालीगल कार्मिक / वकील	01 (अनारक्षित)	18,420 / —
2	पैरा मेडिकल कार्मिक	01 (अनारक्षित)	18,420 / —
3	बहुउद्देशीय कर्मचारी / रसोईया	01 (अन्य पिछड़ा वर्ग)	11,720 / —
4	सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड	01 (अनुसूचित जनजाति)	11,360 / —
		01 (अनारक्षित)	11,360 / —
		01 (अन्य पिछड़ा वर्ग)	11,360 / —

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
पांच बिल्डिंग परिसर,जिला–दुर्ग (छ.ग.)
Phone No. :- 0788-2323704, E-Mail ID :- dpodurg@gmail.com,

महिला एवं बाल विकास विभाग

//विज्ञापन//

सखी–वन स्टॉप सेन्टर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं के भर्ती हेतु विज्ञापन

संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/7246/मबावि/2024–25 नवा रायपुर दिनॉक 01.10.2024 एवं पत्र क्रमांक/1453/मबावि/ मसमि/2025–26 नवा रायपुर दिनॉक 06.05.2025 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/4077 दिनॉक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेन्टर का संचालन नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधानो के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेन्टर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेन्टर, दुर्ग में कार्यालय के दैनिक कार्यो का संचालन एवं सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए विभिन्न पदों हेतु सेवा प्रदाताओं की चयन किया जाना है, रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	मासिक सेवा शुल्क
01	पैरा लीगल कार्मिक/वकील	01 (अनारक्षित)	18,420/–
02	पैरा मेडिकल कार्मिक	01 (अनारक्षित)	18,420/–
03	बहुउद्देशीय कर्मचारी/रसोईया	01 (अन्य पिछड़ा वर्ग)	11,720/–
04	सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड	01 (अनुसूचित जन जाति)	11,360/–
		01 (अनारक्षित)	11,360/–
		01 (अन्य पिछड़ा वर्ग)	11,360/–

उपरोक्तानुसार रिक्त सेवा प्रदाताओं के पदों की पदपूर्ती किये जाने पद अनुसार योग्यताधारी आवेदकों से **दिनॉक 04.06.2025 से 13.06.2025 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–दुर्ग** में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही आमंत्रित किये जाते है।

1. सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्य दायित्व –

SN	Position	Number of staff	Qualification	Roles & Responsibilities
1	पैरालीगल कार्मिक / वकील	01 पद (अनारक्षित)	In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any woman having a degree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years" experience of working within a Government or Non-Government women related project/ programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years" experience oflitigation in any court of law	• She will inform and orient the woman about her legal rights and help/guide the woman to initiate legal proceedings against the abuse/violence suffered, if she is willing to do so. • She will coordinate/liaise with the Public Prosecutor or the SLSA/DLSA Lawyer, to support the woman even after her case has been filed in court as well as to ensure there is follow-up of the case to its logical conclusion. • She will simplify legal procedures for the affected women and advocate for her exemption from court hearings. • She will facilitate speedy and hassle free police and court proceedings through the employment of video conferencing facility forthe recording of statement of women affected by violence

2	पैरा मेडिकल कार्मिक	01 पद (अनारक्षित)	Para Medical Personnel provided by District Health Authorities, the medical assistance service could be outsourced to any woman having professional degree / diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 years experience of working within Government or a Non-Government health project/ programme at the district level.	• Para Medical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • She will provide first aid and immediate life- saving medical assistance to the aggrieved woman until she reaches the hospital. • She will accompany the woman affected by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence. Sge wukk ebsyre strict compliance of the protocols developed by MoHFW to conduct forensic examination and other tests by the doctors. • She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence.
3	बहुद्देशीय कर्मचारी / रसोईया	01 पद (अन्य पिछड़ा वर्ग)	The multi-purpose activity. could be outsourced to any woman who is literate with knowledge / experience of working in the relevant domain. High School pass or equivalent will be preferred	• Multi- purpose Helper will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • She would be responsible for maintaining hygiene and sanitation at OSC. • It would be her responsibility to clean the toilets (daily at such frequency which keeps it clean all the time), dispose the garbage, change the bed sheets, pillow covers (weekly)

				of shelter room. • She will offer water to the visitors, maintain visitor register, provide information on legal aid/police/ medical assistance sheet to the women, • She will provide basic Kit containing soap, comb, shampoo, sanitary pad, tooth brush, tooth paste, diapers (in case of infants) and sewing kit to the woman who is availing the facility of temporary shelter at OSC. • She will help any other staff with referrals and do such other ancillary work as requested by the Centre Administrator.
4	सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड	अनु. जन. जाति 01 पद अनारक्षित 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग 01 पद	The services could be. outsourced to any woman who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years" experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. she should preferably be retired military /para-military personnel	• Security Guard/Night Guard will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. • She would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

टीपः—शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा।

उपरोक्त सेवा प्रदाताओं पदों पर चयन के लिए नियम एवं शर्तेः—

01. उपरोक्त समस्त सेवा प्रदाता पद केवल महिला उम्मीद्वारो के लिए है।

02. उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के **01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।** राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

03. आयु के सत्यापन समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र या कक्षा 8 वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

04. पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य किए जावेंगे।

05. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06. चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।

07. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण–पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण–पत्र भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

08. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितो की गोपनियता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितो/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनियता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा **एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।**

09. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. चयनित सेवा प्रदाता तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला– दुर्ग के मध्य नियुक्त अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित किया जावेगा अनुबंध अवधि में कार्य संतोष जनक पाये जाने तथा विभाग की आवश्यकता व्ययवहार के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर अनुबंध बढ़ाई जा सकेगी।

11. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनो पक्षो में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 01 माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

12. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति जीवित हो, पात्र नहीं माने जायेगे, तथा सेवा से तत्काल पृथक कर दिया जायेगा।

13. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

14. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/ सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

15. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय ही अंतिम होगा।

16. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

17. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

18. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

19. कौशल परीक्षा वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

20. दावा आपत्ति के समय कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नही किये जायेगे।

21. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन स्वीकार नही किये जायेगे।

22. किसी भी अभ्यर्थी को पूर्व में राज्य के किसी भी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्था से कार्य/ व्यवहार असंतोषप्रद पाये जाने के कारण यदि उन्हे सेवा से पृथक किया गया हो अथवा उनकी सविदा अवधि में वृद्धि नही की गई हो तो ऐसे अभियर्थी को उपरोक्त पदो के लिये किये गये आवेदन को अपात्र किया जायेगा।

23. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

24. उपरोक्त सेवा प्रदाता के पदों पर आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक–इन–इंटरव्यू/ कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।**
आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएगे।

25. योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

26. इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।

27. इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

28. उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।

29. दिनांक 18.06.2025 दिन बुधवार को प्रातः 09:00 बजे से वॉक इन इन्टरव्यू आरंभ किया जाऐगा जिसकी अनुमानित कार्य योजना निम्नानुसार रहेगीः–

क्र.	समय	अनुमानित कार्यो का वितरण
01	प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक	दावा आपत्ति हेतु सूची का प्रकाशन
02	दोपहर 12:00 बजे 1:00 बजे तक	दावा आपत्ति प्राप्त करना
03	दोपहर 1:00 बजे से 02:00 बजे तक	प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण
04	दोपहर 2:00 बजे से दोपहर 3::00 बजे तक	अंतिम पात्रता सूची का प्रकाशन
05	दोपहर 03:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक	साक्षात्कार

उक्त कार्यक्रम में आकस्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है।

03. नियुक्ति की प्रकियाः–

01. सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होगे।
02. सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

03. समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी कर वॉक इन इन्टरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकंन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे–

3.1 सेवा प्रदाताओं पदो के वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.2 सेवा प्रदाताओं के पदों पर न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.3 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.4 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

3.5 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक–इन–इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.7 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 2 के उप कंडिका 2.4, 2.5 एवं 2.6 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पदके 1:5 या 1:10 के रेशियो में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक–इन–इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

3.8 छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232/1538/सा/2024/50 दिनांक 10.09.2024 के व्दारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक–इन–इंटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिका दिए जाने के निर्देश है।

3.9 अतः सेवा प्रदाताओं पदों पर चयन के लिए नियम एवं शर्ते की कंडिका 13 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके व्दारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किय जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवा प्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।

04 नियुक्ति की अवधिः–

4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.4 चयन के संबंध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

4.5 विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–दुर्ग के सूचना पटल व जिले के वेबसाइट www.durg.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

(आर.के. जाम्बुलकर)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 759 / मबावि / स्था. / 2025–26 दुर्ग, दिनांक 04/06/2025

प्रतिलिपि :–

1. **संचालक,** संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. **कलेक्टर महोदय,** जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. **जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,** जिला–दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
4. **उप संचालक,** जन संपर्क विभाग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि 02 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगें।
5. **कार्यालयीन नस्ती।**

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–दुर्ग

1. आवेदित पद का नाम :–..
2. आवेदिका नाम (हिन्दी में) :–..
   (अंग्रेजी में केपिटल लेटर में) :–..
3. पिता/पति का नाम :–..
4. जन्मतिथि (अंको में) :–..
   (शब्दों में) :–..
5. स्थायी पता :–..
6. पत्र व्यवहार का पता :–..
   दूरभाष/मोबाईल..
7. दिनॉक 01/01/2025 को आयु :–वर्ष..................माह..................दिन..................
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी है:–..
9. हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें:–..
10. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामन्य) जाति..................................वर्ग ....
11. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्था में सेवारत है ?..
12. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्त्ता :–..
13. यदि आप विवहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :–..
14. शैक्षणिक योग्यता:–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें।

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत	श्रेणी

15. अन्य योग्यता :–..

16. अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्न हां/नही :–..

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण (कब से कब तक)	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

17. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सुचीः
    1. जन्मतिथि हेतु 10वी की अंकसुची
    2. 12वी की अंकसुची
    3. स्नातक की अंकसुची
    4. स्नाकोत्तर की अंकसुची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करे)
18. जाति प्रमाण पत्रएवं मूल निवास प्रमाण पत्र।
19. रोजगार पंजीयन की प्रति।
20. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का प्रमाण पत्र।
21. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि।
22. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रू. का डाक टिकट सहित।

- संलग्नों का विवरणः–

1. ....6..
2. ....7..
3. ....8..
4. ....9..
5. ....10..

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा–पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि इस प्रपत्र दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिक्तम् जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाये जाते है तो मेरी उम्मीद्वारा/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान............................

दिनॉक.........................